कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 80 /11–सी–**FP/UP/Road/22408/2016**, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 12, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याा–232 के किमी0 211.837 से किमी0 222.868 के मध्य प्रस्तावित बाईपास के निर्माण में प्रभावित 0.7954 हे0 अवगीकृत वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–पी–62/14–2–2017–800(62)/2017, दिनांक 23.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर ने अपने पत्रांक–124/27–4, दिनांक–10.07.2017 द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित किया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि आनलाईन ई–पेमेण्ट पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति मयमूल संलग्नकों सहित, अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयॉकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 80 /11–सी–**FP/UP/Road/22408/2016,** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, रायबरेली।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

शासन को प्रति प्रेषित
13/07/17

O/C

ACY- 1232